प्राधिकरण की 100वीं बोर्ड बैठक दिनांक 12.10.2020 की कार्यवाही

आज दिनांक 12.10.2020 को मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण की 100वीं बोर्ड बैठक में प्राधिकरण के अध्यक्ष श्री रविनाथ रमन की अध्यक्षता में सम्पन्न हुई जिसमें निम्नानुसार सदस्यों एवं अधिकारियों द्वारा भाग लिया गयाः–

उपस्थितिः–

1. श्री रविनाथ रमन, आयुक्त, गढ़वाल मण्डल	अध्यक्ष
2. श्री रणवीर सिंह चौहान, उपाध्यक्ष, मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण देहरादून।	उपाध्यक्ष
3. डॉ आशीष कुमार श्रीवास्तव,जिलाधिकारी, देहरादून।	सदस्य
4. श्री सुनील श्री पांथरी, अपर सचिव, आवास	सदस्य
5. श्रीमती अमिता जोशी, अपर सचिव, वित्त	सदस्य
6. श्री रविन्द्र कुमार दयाल, सहायक नगर आयुक्त, नगर निगम, देहरादून	सदस्य
7. श्री एस0एम0श्रीवास्तव, मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक	सदस्य

अन्य उपस्थितिः–

1. श्री पी0के0पात्रो, वनाधिकारी, देहरादून।
2. श्री गिरीश गुण्वन्त, सचिव, म0दे0वि0प्रा0देहरादून।
3. श्री एस0एल0सेमवाल, सचिव, म0दे0वि0प्रा0देहरादून।
4. श्रीमती स्मृति खण्डूरी, मुख्य लेखाधिकारी, म0दे0वि0प्रा0देहरादून।
5. श्रीमती गीता खुल्बे,विशेषज्ञ सम्वन्यक् म0दे0वि0प्रा0देहरादून।

प्राधिकरण की 99वीं बोर्ड बैठक के विषय कमांक की अनुपालन आख्या के सम्बन्ध में:–

बिषय कमांक :2– **मसूरी स्थित निर्माणाधीन पार्किग/टाउन हॉल की ऊचाई में शिथिलता के सम्बन्ध में।**

विस्तृत विचार विमर्श उपरान्त निर्णय लिया गया कि यह एक सार्वजनिक भवन है, मसूरी क्षेत्र में पार्किग की समस्या और एक आडोटोरियम अनुउपलब्धता के दृष्टिगत उक्त भवन में दो सार्वजनिक पार्किग बेसमेंट एवं स्टिल्ट में उपलब्ध है तथा एक आडोटोरियम एवं 10 कमरों का गैस्ट हाउस निर्माणाधीन है। उक्त निर्माणाधीन भवन की अनुमन्य ऊँचाई 11 मीटर के स्थान पर 15.50 मीटर होने के कारण अनुमन्य ऊचाई में शिथिलिता प्रदान करने एवं कार्योतर स्वीकृति की अनुमति हेतु प्रस्ताव निर्माणाधीन भवन का मानचित्र जिसमें स्पष्ट रूप से उँचाई अंकित हो एवं उँचाई बढ़ने का कारण स्पष्ट हो को इंगित करते हुए प्रस्ताव शासन को प्रेषित किया जाये।

विषय कमांक :21– **प्राधिकरण की आमवाला तरला स्थित " आल्यम" आवासीय योजना के HIG,MIG & Studio Dwelling Units (DUS) के Bulk Selling किये जाने के सम्बन्ध में पूर्व 98वीं बोर्ड के विषय कमांक 26 में बोर्ड द्वारा गठित समिति के पुनःनिर्धारण के सम्बन्ध में।**

उक्त प्रस्ताव पर विचार विमर्श उपरान्त श्रीमती अमिता जोशी, अपर सचिव,वित्त द्वारा अब तक की गयी बैठक एवं कार्यवाही की जानकारी दी गयी। उनके द्वारा अवगत कराया गया कि समिति द्वारा पुनः बैठक का प्रस्ताव बोर्ड बैठक के समक्ष प्रस्तुत करने हेतु अवगत कराया। उक्त पर विचार विमर्श उपरान्त आगामी बैठक में रिपोर्ट प्रस्तुत करने हेतु निर्देश दिये गये तथा श्रीमती स्मृति खण्डूरी, मुख्य लेखाधिकारी, एम0डी0डी0ए0 को भी समिति में नामित करने हेतु सहमति दी गयी।

प्राधिकरण की 100वीं बोर्ड बैठक दिनांक 12.10.2020 की कार्यवाही

विषय कमांक 1:— **मसूरी स्थित टाउन हॉल के निर्माण लागत आधार पर भविष्य में अनुरक्षण—संचालन एवं Profit Sharing के संबंध में।**

विस्तृत विचार विमर्श उपरान्त प्रस्ताव पर सहमति इस शर्त पर प्रदान की गयी कि इस सम्बन्ध में एम0ओ0यू0 करा लिया जाये।

विषय कमांक 2:— **भू—उपविभाजन शुल्क को संशोधित किये जाने के सम्बन्ध में।**

विस्तृत विचार विमर्श उपरान्त निर्णय लिया गया कि चूंकि भू—उपविभाजन शुल्क संशोधित किये जाने का प्रस्ताव नीतिगत है। मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक द्वारा अवगत कराया गया कि भू—उपविभाजन शुल्क संशोधन हेतु प्रस्ताव शासन स्तर पर विचाराधीन है अतः शासन के आदेश के कम में कार्यवाही की जाये।

विषय कमांक 3:— **महायोजना/जोनल प्लान में दर्शाया गया भूखण्ड यदि वन भू—उपयोग अन्तर्गत है तथा वन विभाग का अनापत्ति प्राप्त है तो उक्त भूखण्ड का भू—उपयोग सुनिश्चित किये जाने के सम्बन्ध में ।**

विस्तृत विचार विमर्श उपरान्त निर्णय लिया गया कि मौके की स्थिति की आख्या प्राप्त कर प्रस्ताव शासन को प्रेषित किया जाये।

विषय कमांक 4:— **मानचित्र पत्रावली संख्या—सी—0156/20—21श्री संजय कुमार सैनी द्वारा खसरा नम्बर—662 मौजा धर्मावाला (मुख्य शिमला बाईपास मार्ग पर) परगना पछवादून देहरादून पर पेट्रोल पम्प निर्माण की स्वीकृति के सम्बन्ध में ।**

इस हेतु मुख्य नगर—नियोजक द्वारा अवगत कराया गया कि शासनादेश दिनांक 15 सितम्बर 2020 का भी संज्ञान लिया जाये। विस्तृत विचार विमर्श उपरान्त निर्णय लिया गया कि 15 सितम्बर के शासनादेशानुसार परीक्षण करते हुए प्रस्ताव शासन को प्रेषित किया जाये। शासन से शिथलीकरण प्राप्त होने पर नियमानुसार मानचित्र स्वीकृति की कार्यवाही की जाये।

विषय कमांक 5:– मानचित्र पत्रावली संख्या–सी–2490/19–20 श्री गिरीश कुकरेजा व श्रीमती सिम्मी कुकरेजा द्वारा पुराना खसरा नम्बर 372 पार्ट नया खसरा नम्बर 354 ग्राम कोल्हूपानी (चकराता रोड प्रेमनगर सेलाकुई मार्ग निकट नन्दा की चौकी) देहरादून पर हॉस्टल निर्माण की स्वीकृति के सम्बन्ध में ।

विस्तृत विचार विमर्श उपरान्त निर्णय लिया गया कि नगर महायोजना में प्रश्नगत स्थल का भू–उपयोग सार्वजनिक/अर्द्व–सार्वजनिक में निर्धारित है। परिक्षेत्रीय विनियमन 2005–25 के अनुसार सार्वजनिक/अर्द्व–सार्वजनिक भू–उपयोग में हास्टल के निर्माण की अनुमति चूंकि बोर्ड द्वारा अनुमन्य है अतः प्रस्ताव पर सैद्वान्तिक स्वीकृति प्रदान की जाती है।

विषय कमांक 6:– मानचित्र पत्रावली संख्या–सी–0035/20–21 श्री पंकज गुप्ता डायरेक्टर ऑफ रितुराज फर्मस प्रा0लि0 Behalf of Hindustan Petroleum Corp.Ltd.खसरानम्बर 229/3, 230, 231/1 व 235 ग्राम बगराल गॉव (मसूरी देहरादून मार्ग पर) तहसील देहरादून जिला देहरादून पर CNG REFUELING RETAIL OUTLET निर्माण की स्वीकृति के सम्बन्ध में ।

इस हेतु मुख्य नगर–नियोजक द्वारा अवगत कराया गया कि शासनादेश दिनांक 15 सितम्बर 2020 का भी संज्ञान लिया जाये। विस्तृत विचार विमर्श उपरान्त निर्णय लिया गया कि 15 सितम्बर के शासनादेशानुसार परीक्षण करते हुए प्रस्ताव शासन को प्रेषित किया जाये। शासन से शिथलीकरण प्राप्त होने पर नियमानुसार मानचित्र स्वीकृति की कार्यवाही की जाये।

विषय कमांक 7:– मानचित्र पत्रावली संख्या–सी–2446/19–20 श्री अनुप कुमार वालिया, श्री मधुकर, श्री विवेक कुमार पुत्रगण श्री वीरेन्द्र सिंह द्वारा खसरा नम्बर 85मि , 88मि व 90ख मौजा बद्रीपुर (मेन बद्रीपुर रोड निकट आशा नर्सिंग होम) परगना सैन्ट्रल दून देहरादून पर वैडिंग प्वाइंट निर्माण की स्वीकृति के सम्बन्ध में ।

विस्तृत विचार विमर्श उपरान्त निर्णय लिया गया कि वर्तमान मार्ग की चौड़ाई स्थल पर मानकानुसार कम है अतएव प्रस्ताव अस्वीकृत किया जाता है।

विषय कमांक 8:– मानचित्र पत्रावली संख्या–सी–0013/19–20 श्री सचिन लूथरा पुत्र श्री गोविन्द गोपाल लूथरा खसरा नम्बर 1547मि स्थित जमीदारी अविनाश क्षेत्र ग्राम देहराखास परगना परवादून देहरादून पर पेट्रोल पम्प निर्माण की स्वीकृति के सम्बन्ध में ।

विस्तृत विचार विमर्श उपरान्त प्रस्ताव पर अनुमोदन प्रदान किया गया।

विषय क्रमांक 9:– मानचित्र पत्रावली संख्या–सी–0133/19–20 श्रीमनोज सिंह पंवारपुत्र श्रीरणधीर सिंह पंवार खसरा नम्बर 2113ख ग्राम अजबपुर कंला (बंगाली कोठी चौक मौथरोवाला रोड से दून यूनिर्वसिटी जाने वाली रोड पर) परगना परवादून देहरादून पर पेट्रोल पम्प निर्माण की स्वीकृति के सम्बन्ध में ।

विस्तृत विचार विमर्श उपरान्त प्रस्ताव पर अनुमोदन प्रदान किया गया।

विषय क्रमांक 10:– मानचित्र पत्रावली संख्या–सी–2121/19–20 श्री भानुप्रसाद चौधरी पुत्र श्री यशपाल सिंह चौधरी खसरा नम्बर 68क ग्राम अजबपुरकंला (माता मन्दिर रोड) परगना परवादूनदेहरादून पर पेट्रोल पम्प निर्माण की स्वीकृति के सम्बन्ध में ।

विस्तृत विचार विमर्श उपरान्त प्रस्ताव पर अनुमोदन प्रदान किया गया।

विषय कमांक 11:–मानचित्र पत्रावली संख्या–सी–2183/19–20 श्री सन्दीप जैन पुत्र श्री कृष्ण लाल जैन खसरा नम्बर 734 मौजा देहराखास (महन्त इन्द्रेश हास्पिटल से बाईपास रोड को जाने वाली सडक पर) देहरादून पर पेट्रोल पम्प निर्माण की स्वीकृति के सम्बन्ध में ।

विस्तृत विचार विमर्श उपरान्त संज्ञान में आया कि प्रश्नगत प्रकरण आयुक्त न्यायालय में विचाराधीन है एवं पैट्रोल पम्प संचालित किया जा रहा है। सम्बन्धित अभियंता द्वारा स्थल निरीक्षण करवा लिया जाये कि स्थल पर बिना स्वीकृति के पैट्रोल पम्प संचालित तो नही किया जा रहा है यदि किया जा रहा है तो सीलिंग की कार्यवाही की जाये और यदि संचालित नही किया जा रहा हे तो शासन द्वारा दिये गये शिथलीकरण के आधार पर प्रस्ताव इस शर्त के साथ स्वीकृत किया जाये कि पैट्रोल पम्प की एन0ओ0सी0 जिलाधिकारी से प्राप्त होन के पश्चात ही मानचित्र स्वीकृत किया जायेगा।

विषय कमांक 12:– मानचित्र पत्रावली संख्या–एससी–0005/20–21 मैसर्स एवरेस्टवूल्स प्रा0लि0 द्वारा श्री विनोद अग्रवाल खसरा नम्बर 2357मि.मौजा आरकेडिया ग्रान्ट (टाइटन रोड) देहरादून पर होटल निर्माण की स्वीकृति के सम्बन्ध में ।

विस्तृत विचार विमर्श उपरान्त प्रस्ताव पर इस शर्त के साथ अनुमोदन प्रदान किया गया कि पार्किग की व्यवस्था हेतु निर्धारित मानक पूरे किये जाये।

विषय कमांक 13:– मानचित्र पत्रावली संख्या–सी–2126/19–20 श्रीमती प्रेरणा व्यास पत्नि श्री अंशुल व्यास व श्री अंशुल व्यास पुत्र श्री हर्षमणी व्यास खसरा नम्बर 117मि,118 मि ग्राम अजबपुरकंला (माता मन्दिर रोड पर) परगनासैन्ट्रलदून देहरादून पर पेट्रोल पम्प (फिलिंग स्टेशन) निर्माण की स्वीकृति के सम्बन्ध में ।

विस्तृत विचार विमर्श उपरान्त प्रस्ताव पर निर्णय लिया कि प्रश्नगत प्रकरण पर मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक से आख्या प्राप्त कर ली जाये यदि प्रस्ताव निर्धारित मानक के अनुसार है तो सड़क की चौडाई के सम्बन्ध में शिथलीकरण हेतु शासन को प्रेषित किया जाये। शासन से शिथलीकरण प्राप्त होने पर नियमानुसार मानचित्र स्वीकृति की कार्यवाही की जाये।

विषय कमांक 14:– मानचित्र पत्रावली संख्या–सी–0123/20–21 श्री रविन्द्र सिंह कण्डारी पुत्र श्री परबल सिंह कण्डारी खसरा नम्बर 581/3 मौजा रायपुर (गुलरघाटी रोड पर) परगना परवादून देहरादून पर पेट्रोल पम्प (फिलिंग स्टेशन) निर्माण की स्वीकृति के सम्बन्ध में ।

विस्तृत विचार विमर्श उपरान्त प्रस्ताव पर अनुमोदन प्रदान किया गया।

विषय कमांक 15:– मानचित्र पत्रावली संख्या–सी–0131/20–21 श्रीमती विजय लक्ष्मी डोभाल एवं श्रीमती राधिका डोभाल खसरा नम्बर 1560 मौजा रायपुर परगना परवादून देहरादून पर पेट्रोल पम्प (फिलिंग स्टेशन) निर्माण की स्वीकृति के सम्बन्ध में ।

विस्तृत विचार विमर्श उपरान्त प्रस्ताव पर अनुमोदन प्रदान किया गया।

बिषय कमांक16:– मानचित्र पत्रावली संख्या–सी–0117/20–21 श्री त्रिलोक चन्द सेमवाल पुत्र श्री हीरामणी सेमवाल व श्रीमती लीला देवी पत्नि श्री हीरामणी सेमवाल द्वारा श्री त्रिलोक चन्द सेमवाल ,खसरा नम्बर 2064 क,2064ख (पुराना खसरा नम्बर 1152,1153) मौजा अजबपुर कंला परगना सैन्ट्रल दून देहरादून पर पेट्रोल पम्प (फिलिंग स्टेशन) निर्माण की स्वीकृति के सम्बन्ध में ।

विस्तृत विचार विमर्श उपरान्त प्रस्ताव पर इस शर्त के साथ अनुमोदन प्रदान किया गया कि अग्नि शमन विभाग से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त कर लिया जाये जिसकी एक प्रति जिलाधिकारी को भी कर दी जाये।

बिषय कमांक17:– मानचित्र पत्रावली संख्या–सी–0043/20–21 श्री करम सिंह आहलूवालिया पुत्र श्री शंकरलाल व श्रीमती सुनीता आहलूवालिया पत्नि स्व0 श्री धीरेन्द्र सिंह एवं श्री तनुज आहलूवालिया पुत्र स्व0 श्री धीरेन्द्र सिंह द्वारा खसरा नम्बर–137घ मौजा सेवलांखुर्द (मुख्य सहारनपुर रोड निकट राजाराम बोर्डिंगस्कूल के पास) परगना सैन्ट्रल दून देहरादून पर रैस्टोरेन्ट भवन निर्माण की स्वीकृति के सम्बन्ध में ।

विस्तृत विचार विमर्श उपरान्त प्रस्ताव पर अनुमोदन प्रदान किया गया।

बिषय कमांक18:– मानचित्र पत्रावली संख्या–सी–0135/20–21 श्री हितेशकुमार सिंह पुत्र श्री प्रमोदकुमार सिंह खसरा नम्बर 672 मौजा पौंधा (पेट्रोलियम यूनिर्वसिटी रोड पर) परगना पछवादून देहरादून पर पेट्रोल पम्प (फिलिंग स्टेशन) निर्माण की स्वीकृति के सम्बन्ध में ।

विस्तृत विचार विमर्श उपरान्त प्रस्ताव पर अनुमोदन प्रदान किया गया।

बिषय कमांक19:– मानचित्र पत्रावली संख्या–सी–0028/20–21आरई–1 श्री सुरेशदास पुत्र श्री मुलूदास खसरा नम्बर 124 ग्राम दूधली परगना परवादून तहसील डोईवाला देहरादून पर पेट्रोल पम्प निर्माण की स्वीकृति के सम्बन्ध में ।

विस्तृत विचार विमर्श उपरान्त निर्णय लिया गया कि प्रस्ताव शासन को प्रेषित किया जाये। शासन से शिथलीकरण प्राप्त होने पर नियमानुसार मानचित्र स्वीकृति की कार्यवाही की जाये।

बिषय कमांक 20:–मानचित्र पत्रावली संख्या–सी–0069/20–21 श्रीमती प्रेमलता पत्नि श्रीमांगेराम वर्मा एन एच. 72 जी0एम0एस0रोड देहरादून पर पेट्रोल पम्प निर्माण की स्वीकृति के सम्बन्ध में ।

विस्तृत विचार विमर्श उपरान्त प्रस्ताव पर अनुमोदन प्रदान किया गया।

बिषय कमांक 21:–मानचित्र पत्रावली संख्या–सी–0142/20–21 श्री कुणाल सेठी पुत्र श्री अमरजीत सेठी खसरा नम्बर 1454क (मि.) मौजा मोटीधार मसूरी चम्बा रोड एन.एच. 707ए कि0मी0 स्टोन नम्बर 180 परगना परवादून देहरादून पर रिटेल आउटलेट निर्माण की स्वीकृति के सम्बन्ध में ।

विस्तृत विचार विमर्श उपरान्त निर्णय लिया गया कि प्रस्ताव शासन को प्रेषित किया जाये। शासन से शिथलीकरण प्राप्त होने पर नियमानुसार मानचित्र स्वीकृति की कार्यवाही की जाये।

बिषय कमांक 22:— मानचित्र पत्रावली संख्या—सी—1942/19—20आरई—1 श्रीमती प्रिया कश्यप पत्नि श्री अनिल कुमार पुत्र श्री लक्ष्मी चन्द खसरा नम्बर 181मि.,168क मौजा सेवलाकंला देहरादून पर पेट्रोल पम्प निर्माण की स्वीकृति के सम्बन्ध में ।

विस्तृत विचार विमर्श उपरान्त प्रस्ताव पर अनुमोदन प्रदान किया गया।

बिषय कंमाक 23:— मानचित्र संख्या—सी—0012/19—20 द्वारा हरे कृष्णा टूरिज्म डेवलपमेंट लिमिटेड द्वारा अतिरिक्त संशोधित भवन मानचित्र में सब—डिवीजन शुल्क के सम्बन्ध में।

विस्तृत विचार विमर्श उपरान्त प्रस्ताव पर अनुमोदन दिया गया कि ऐसे मामले जिसमें पूर्व स्वीकृत मानचित्र में कोई परिवर्तन नही हुआ है तो पुनः मानचित्र स्वीकृत कराने हेतु उपविभाजन शुल्क नही लिया जायेगा।

बिषय कमांक 24:— शमन मानचित्र संख्या—ओ0सी0—0424/19—20 श्रीमती संध्या गुप्ता पत्नी श्री अरूण गुप्ता द्वारा खसरा नं0 26ख मि0, 27क मि0, मौजा जमनीवाला परवादून देहरादून पर कुल क्षेत्रफल 4,272.00 वर्गमीटर ईकोरिसोट्स के शमन प्रस्ताव की स्वीकृति के संबंध में।

विस्तृत विचार विमर्श उपरान्त निर्णय लिया गया कि प्रस्ताव शासन को प्रेषित किया जाये।

बिषय क्रमांक 25:— श्रीमती शोभा शर्मा एवं श्री मुनेश कुमार शर्मा द्वारा महायोजना—2031 में त्रुटिवश छूटी हुयी भूमि का भू—उपयोग पर्यटन हेतु परिवर्तित किये जाने के सम्बन्ध में।

विस्तृत विचार विमर्श उपरान्त निर्णय लिया गया कि मौके की स्थिति के अनुसार संस्तुति सहित प्रस्ताव शासन को प्रेषित किया जाये।

बिषय क्रमांक26:— मानचित्र पत्रावली संख्या—सी—0090/20—21 कि श्री संजय कुमार गुप्ता पुत्र स्व0 श्री दयाराम गुप्ता एवं श्री श्रीकान्त शर्मा पुत्र श्री रघुवीर शरण शर्मा द्वारा खसरा संख्या 13 ख/14/15क/16ख, 16क, 17ख, 18घमि0 कुल क्षेत्रफल 1.0040 हेक्टेयर मौजा तलाई, तहसील डोईवाला, परगना परवादून जिला देहरादून में आवेदित ईको—रिजोर्ट मानचित्र की स्वीकृति के सम्बन्ध में।

प्रश्नगत ग्राम तलाई थानों प्रखण्ड के उत्तरी भाग में स्थित है तथा पर्वतीय क्षेत्र है। महायोजना —2031 के जोनिंग रेगुलेशन के बिन्दु 13.3 के प्रस्तर—3 मे उल्लेख है कि " भवन निर्माण एवं विकास उपविधि विनियमन के अनुसार पर्वतीय क्षेत्र व मैदानी क्षेत्र के पृथक पृथक उपविधि गठित है। सम्पूर्ण उत्तरी पर्वतीय भाग (NR) एवं पूर्वी तथा पश्चिमी

ग्रामीण ((ER & WR) जोन अर्न्तगत अधिसूचित पर्वतीय ग्रामो को पर्वतीय क्षेत्र मानते हुए इनमें पर्वतीय भाग (NR) हेतु गठित विनियम लागू होंगे।

अतः तलाई पर्वतीय ग्राम होने के कारण इसमें उत्तरी पर्वतीय भाग (NR) के जोनिंग रेगुलेशन लागू होंगे अतः ईको रिसोर्ट का उपयोग बोर्ड द्वारा अनुमन्य श्रेणी के अर्न्तगत है, तदानुसार प्रस्वाव पर अनुमति प्रदान की गयी।

बिषय क्रमांक 27:– **मानचित्र पत्रावली संख्या–सी–2221/19–20 श्रीअमन सिंह रावतपुत्र श्रीचरण सिंह रावत खसरा संख्या 129ख पुराना 473मि0 मौजा बडासी ग्रांट, तहसील देहरादून, परगना परवादून जिला देहरादून में रायपुर–थानों मार्ग पर फिलिंग स्टेशन (पेट्रोल पम्प) स्थापना स्वीकृति के सम्बन्ध में।**

विस्तृत विचार विमर्श उपरान्त निर्णय लिया गया कि मौके की स्थिति के अनुसार संस्तुति सहित प्रस्ताव सड़क चौड़ाई में शिथलीकरण हेतु शासन को प्रेषित किया जाये। शासन से शिथलीकरण प्राप्त होने पर नियमानुसार मानचित्र स्वीकृति की कार्यवाही की जाये।

बिषय क्रमांक 28:– **मै0 हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कारपोरेशन लि0 द्वारा–श्री अविनाश शर्मा पुत्र स्व0 श्री भगवानदास द्वारा स्थल ग्राम रामनगर डांडा, तहसील डोईवाला परगना परवादून जिला देहरादून के खसरा संख्या 693, 694मि0 शुद्ध भूखण्ड क्षेत्रफल 1294.78 वर्गमीटर पर रिटेल आउटलेट (पेट्रोल पम्प) की प्रशमन स्वीकृति के सम्बन्ध में।**

विस्तृत विचार विमर्श उपरान्त प्रस्ताव पर अनुमोदन प्रदान किया गया।

बिषय क्रमांक29:– **श्री दिनेश सजवान पुत्र श्री केशर सिंह सजवान द्वारा खसरा संख्या 278मि0 मौजा अठूरवाला, परगना परवादून जिला देहरादून में व्यवसायिक निर्माण की प्रशमन/स्वीकृति के सम्बन्ध में।**

विस्तृत विचार विमर्श उपरान्त प्रस्ताव पर अनुमोदन प्रदान किया गया।

बिषय क्रमांक 30:– **श्री चन्द्र सिंह गुसांई पुत्र श्री भोपाल सिंह गुसांई द्वारा खसरा नम्बर–2532 मौजा एटनवाग तहसील विकासनगर जिला देहरादून में प्रस्तुत रिटेल शोरूम भवन मानचित्र संख्या सी–2438/2019–20/आरई–1 की स्वीकृति के सम्बन्ध में।**

विस्तृत विचार विमर्श उपरान्त प्रस्ताव पर निर्णय लिया गया कि डिटेल रिपोर्ट सहित प्रस्ताव अग्रिम बोर्ड बैठक में प्रस्तुत किया जाये।

बिषय कमॉक 31:—श्री चन्द्रमोहन शर्मा,को प्राधिकरण की ट्रॉसपोर्टनगर फेस—2 आवासीय योजना में आंवटित एल0आई0जी फ्लैट संख्या ए—004 के सापेक्ष जमा करायी जाने वाली अवशेष देय राशि 16,62,190/—को निर्धारित तिथी तक प्राधिकरण कोष में जमा न कराये जाने पर आरोपित ब्याज 44,264/—को छूट दिये जाने के संबध में।

विस्तृत विचार विमर्श उपरान्त प्रस्ताव पर निर्णय लिया गया कि आवंटी को अंतिम भुगतान हेतु जारी किये गये डिमाण्ड पत्रो मे उल्लिखित अवधि एवं ब्रोशर के नियमानुसार ग्रेस पीरियड (अनुज्ञा अवधि) के पश्चात् लॉकडाउन के कारण आगामी 75 दिनों तक के दण्ड ब्याज से मुक्त किया जाता है।

विषय कमांक 32:— श्री जगदीश प्रसाद द्वारा आवेदित खसरा नं0 515ख, 517क, 515ग, 516ख, 519मिन कुल रकबा 0.2302 है0 मौजा नत्थनपुर देहरादून में गेस्टहाउस के मानचित्र मे पहुँचमार्ग की शिथिलता के सम्बन्ध में ।

विस्तृत विचार विमर्श उपरान्त प्रस्ताव पर निर्णय लिया गया स्थल निरीक्षण आख्या एवं विस्तृत विवरण सहित प्रस्ताव अग्रिम बोर्ड बैठक में रखा जाये।

बिषय कमांक 33:— भवन निर्माण एवं विकास उपविधि के अन्तर्गत ईकोरिसोर्ट, गेस्टहाउस, हास्टल के लिए आवश्यक मार्ग चौड़ाई के सम्बन्ध में ।

विस्तृत विचार विमर्श उपरान्त प्रस्ताव पर निर्णय लिया गया कि चूंकि यह नीतिगत मामला है अतएव मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक द्वारा इसका अध्ययन कर विस्तृत विवरण सहित प्रस्ताव शासन को प्रेषित किया जाये।

बिषय कमांक 34:— श्रीमती रंजना गोयनका पत्नी श्री गोपाल गोयनका द्वारा आवेदित ग्राम माजरी माफी मेंखसरा नं0 133, 134मिन, 134ख, 135क एवं 135 'क' मिन कुल रकबा 1455.13 वर्गमीटर का भू—उपयोग कृषि से व्यवसायिक में परिवर्तन किये जाने के सम्बन्ध में ।

विस्तृत विचार विमर्श उपरान्त निर्णय लिया गया कि प्रस्ताव शासन को प्रेषित किया जाये।

बिषयकमांक 35:— मानचित्र पत्रावली संख्या — सी—2267/19—20आरई—1 श्रीमती निशा सेठी पत्नि श्री नरेश सेठी पुराना खसरानम्बर 65/2 मि. नया खसरा 170क (जोगीवाला चौक से बद्रीपुर रोड पर निकट सूर्याफार्म) मौजा बद्रीपुर परगना पछवादून देहरादून पर वैडिंग प्वाइंट (वैंकेट हाल) निर्माण की स्वीकृति के सम्बन्ध में ।

विस्तृत विचार विमर्श उपरान्त प्रस्ताव अस्वीकृत किया गया।

बिषय कमांक 36:–मानचित्र पत्रावली संख्या–सी–0160/20–21 श्रीमती कुलदीप कौर मनोचा पत्नि श्री हरविन्दर सिंह मनोचा ,एमपीएल नं0 312/ए चन्दर नगर रेसकोर्स वार्ड नं0–16 देहरादून पर पेट्रोल पम्प निर्माण की स्वीकृति के सम्बन्ध में ।

विस्तृत विचार विमर्श उपरान्त प्रस्ताव पर स्वीकृति प्रदान की गयी एवं सड़क की चौड़ाई को जोनिंग रेगुलेशन में सशोधित करनें हेतु प्रस्ताव शासन को प्रेषित किये जाने हेतु निर्देशित किया गया।

बिषय कमांक 37:–प्राधिकरण में कार्यरत समस्त नियमित कर्मचारियो को अटल आयुष्मान, उत्तराखण्ड योजना के अन्तर्गत चिकित्सकीय उपचार का लाभ दियेजाने के सम्बन्ध में ।

विस्तृत विचार विमर्श उपरान्त निर्णय लिया गया कि प्रस्ताव को In principle अनुमोदित किया गया।

बिषय क्रमांक 38:– श्री बुद्धि सिंह पुत्र श्री सुन्दरसिंह द्वारा खसरा संख्या 802, 803मि0, मौजा कालूवाला तहसील डोईवाला, परगना परवादून जिला देहरादून में डेयरी एव दुग्ध प्रोसेसिंग लगाये जाने के सम्बन्ध में।

विस्तृत विचार विमर्श उपरान्त प्रस्ताव शासन को प्रेषित कर दिया जाये।

बिषय कमांक 39:–हरिद्वार रोड स्थित उत्तराखण्ड परिवहन निगम के कार्याशाला की 5.49 एकड़ भूमि शहरी विकास विभाग को हस्तान्तरित किये जाने के कममें आई0एस0बी0टी0 का स्वामित्व उत्तराखण्ड परिवहन निगम को दियेजाने के सम्बन्ध में।

विस्तृत विचार विमर्श उपरान्त प्रस्ताव निरस्त किया गया।

बिषय कमांक 40:– आई0एस0बी0टी0 स्थित ग्राम –माजरा में गेल गैस लिमिटेड को सी0एन0जी0 फिलिंग सेन्टर हेतु भूमि उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में।

विस्तृत विचार विमर्श उपरान्त प्रस्ताव पर निर्णय लिया गया कि गेल गैस के प्रतिनिधि की उपस्थिति में ही स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त सहमति की दशा में उनके द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव को अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व की आख्या के आधार पर तय किये गये बाजारू मूल्य रू0 28000 प्रति वर्गमीटर की दर से भूमि विक्रय करने की स्वीकृति बोर्ड द्वारा दी जा चुकी है। चूंकि भूमि हरिद्वार बाईपास मुख्य मार्ग से लगती हुई है। ऐसे में एक ही भूखण्ड के दो अलग–अलग मूल्य निर्धारित करना विधिसंगत नही है। अतएव गेल गैस लि0 के प्रस्ताव को अस्वीकृत किया जाता है।

अनुपूरक बिषय :– प्राधिकरण की आई0एस0बी0टी0 योजनान्तर्गत निर्मित एवं निर्माणाधीन एच0आई0जी0
कमॉक 8:– **फ्लैटों के सापेक्ष आवंटियों द्वारा विलम्ब से जमा की जाने वाली किश्त राशि पर दण्ड ब्याज मुक्त किये जाने के सम्बन्ध में।**

विस्तृत विचार विमर्श उपरान्त प्रस्ताव पर निर्णय लिया गया कि आवंटी को अंतिम भुगतान हेतु जारी किये गये डिमाण्ड पत्रो मे उल्लिखित अवधि एवं ब्रोशर के नियमानुसार ग्रेस पीरियड (अनुज्ञा अवधि) के पश्चात् लॉकडाउन के कारण आगामी 75 दिनों तक के दण्ड ब्याज से मुक्त किया जाता है।

अनुपूरक बिषय कमांक 10:– **पूर्ववर्ती दूनघाटी विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण के मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण में विलय के उपरान्त पछवादून एवं परवादून के निर्मित क्षेत्र में मानचित्र स्वीकृति में हो रही समस्या के निवारण के सम्बन्ध में।**

विस्तृत विचार विमर्श उपरान्त निर्णय लिया गया कि प्रस्ताव शासन को प्रेषित कर दिया जाये।

अनुपूरक बिषय कमांक 11:– **मुख्य सचिव महोदय के निर्देशो के अनुपालन में मा0 उच्च न्यायालय में पी0आई0एल0 संख्या 47/2013 में पारित निर्णय के Compliance हेतु Google Satellite Image पर होने वाले व्यय का भुगतान प्राधिकरण द्वारा किये जाने के सम्बन्ध में।**

विस्तृत विचार विमर्श उपरान्त निर्णय लिया गया कि **मा0 उच्च न्यायालय में पी0आई0एल0 संख्या 47/2013 में पारित निर्णय के Compliance हेतु Google Satellite Image** पर होने वाले व्यय का भुगतान प्राधिकरण द्वारा जिलाधिकारी के पक्ष में किया जायेगा न कि किसी प्राइवेट व्यक्ति को। जिलाधिकारी उक्त धनराशि के भुगतान सम्बन्ध में मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण को पत्र/प्रस्ताव प्रस्तुत करें।

अनुपूरक बिषय कमांक 12:– **लच्छीवाला नेचर पार्क देहरादून के पुर्ननिर्माण के सम्बन्ध में।**

विस्तृत विचार विमर्श उपरान्त निर्णय लिया गया कि चूंकि यह एक सरकारी संस्था है अतएव उक्त धनराशि मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण द्वारा बिना ब्याज के लच्छीवाला नेचर पार्क के पुर्ननिर्माण हेतु दी जाये। इस पार्क के निर्माण के पश्चात् संचालित नेचर पार्क से जो भी आय होगी वन विभाग सर्वप्रथम उक्त धनराशि प्राधिकरण को वापस करेगा। इस हेतु वन विभाग द्वारा एक एम0ओ0यू0 तैयार कर प्रस्तुत किया जाये।

अनुपूरक बिषय क्रमांक 14:–

मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण की आई0एस0बी0टी0 योजनाओं के अन्तर्गत एच0आई0जी0 एवं ट्रान्सपोर्ट नगर में निर्मित एम0आई0जी0 के आवंटन हेतु अवशेष फलैटो के विक्रय किये जाने हेतु लुभावन/त्यौहारी उत्सव के अन्तर्गत मूल्य में छूट प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में।

चूंकि प्रस्ताव विलम्ब से प्राप्त हुआ है अतएव निर्णय लिया गया कि अपरसचिव, वित्त इस प्रस्ताव का परीक्षण कर अपने सुझाव 27 अक्टूबर 2020 से पूर्व प्रस्तुत करें दिपावली से पूर्व भवन आवंटन में मूल्य छूट से सम्बन्धित है अतएव सचिव, वित्त के सुझाव प्राप्त होने के उपरान्त प्रस्ताव को सरकुलेशन के माध्यम से करवाया जाये।

उपाध्यक्ष,
मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण,
देहरादून।

अध्यक्ष,
मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण,
देहरादून।